पत्रांक : 5प/राज्य स्कीम–02–06/2025/ 39(अ०) पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण (बेतिया)

पटना, दिनांक 07/08/26

विषय : वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 27(स्वी०) दिनांक 14.07.2026 के आलोक में कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 8116 दिनांक 27.06.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 27(स्वी०) दिनांक 14.07.2026 द्वारा स्व० गिरजा देवी, पंच, प्रखंड–चनपटिया, ग्राम–लखौरा, जिला–पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित को कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) को ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत की स्थापना" मद के विषय शीर्ष '0101.37.01–अनुग्रह अनुदान' से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000010101 है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 236 दिनांक 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, **जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)** होंगे, जो राशि की निकासी जिला कोषागार, **पश्चिम चम्पारण (बेतिया)** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी करते हुए मृतक के आश्रित के बैंक खाते में CFMS के माध्यम से अंतरित करेंगे।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या–5प/राज्य स्कीम–02–06/2025 के पृष्ठ संख्या 103/टि० पर दिनांक 05/08/26 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–06/2025/39(अ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 07/08/26

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/प्रभारी पदाधिकारी–06, 07 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–06/2025/39(अ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 07/08/26

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

Aditi